न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 89 / 2013
निर्णय दिनांकः 09.02.2024

उनवान

मंगली बेवा लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. देवीप्रकाश पुत्र सीताराम
2. पुरूषोतम पुत्र सीताराम
3. शिवशंकर पुत्र सीताराम
4. राजेन्द्र पुत्र सीताराम
5. सुमित्रा पुत्री सीताराम
6. किशोरी पुत्री सीताराम
7. शान्ति देवी पत्नी सीताराम

   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक सांगानेर प्रथम, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादिया एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाना चाहते है। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर उभयपक्षकारान की सहमति से वादिया का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 20.0[illegible] प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर [illegible] प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश [illegible]दार सांगानेर द्वारा प[illegible] क्रमांक / एल.आर. / 2022 / 8133 दिनांक 20.09.[illegible] संलग्न कुरेंजात रिपो[illegible] मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। दिनांक 25.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादिया अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। वादिया अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादिया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.62 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, पटवार हल्का भांकरोटाकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	41 42 43	0.6100 0.0500 0.6200	बारानी ए गैर मु.रास्ता बारानी ए	7.20 – 7.32	किशोरी पुत्री सीताराम हि 2/21, देवीप्रकाश पुत्र सीताराम हि 2/21, पुरूपोषम पुत्र सीताराम हि 2/21, समस्त जाति ब्राह्मण, मंगली पत्नि लाला हि 1/3, जाति जाट, राजेन्द्र पुत्र सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, शान्ति पत्नी सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, शिवशंकर पुत्र सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, सुमित्रा पुत्री सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, सा.देह खातेदार
	किता–03	1.2800		14.52	

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	41 मिन	0.4266	मंगली पत्नि लाला, जाति जाट, सा. देह खातेदार	बारानी ए
	किता–01	0.4266		.
2	41 मिन 42 43	0.1834 0.0500 0.6200	किशोरी पुत्री सीताराम हि 1/7, देवीप्रकाश पुत्र सीताराम हि 1/7, पुरूपोषम पुत्र सीताराम हि 1/7, राजेन्द्र पुत्र सीताराम हि 1/7, शान्ति [illegible] सीताराम हि [illegible] शिवशंकर पुत्र सीताराम हि [illegible]7, [illegible]त्रा पुत्री सीताराम हि 1/7, [illegible] जाति ब्राह्मण, सा.देह खातेदार	बारानी ए गै.मु.रास्ता बारानी ए
	किता–03	0.8534		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर (द्वितीय)

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर** मुकाम जयपुर व इजलास **महीपाल सिंह**, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 89 / 2013

मंगली बेवा लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. देवीप्रकाश पुत्र सीताराम
2. पुरूषोतम पुत्र सीताराम
3. शिवशंकर पुत्र सीताराम
4. राजेन्द्र पुत्र सीताराम
5. सुमित्रा पुत्री सीताराम
6. किशोरी पुत्री सीताराम
7. शान्ति देवी पत्नी सीताराम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक सांगानेर प्रथम, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादिया मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म [illegible] कि अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 [illegible] है0, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.62 है0, [illegible] किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज[illegible]स, पटवार हल्का भांकरोटाकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	41 42 43	0.6100 0.0500 0.6200	बारानी ए गै.मु.रास्ता बरानी ए	7.20 — 7.32	किशोरी पुत्री सीताराम हि 2/21, देवीप्रकाश पुत्र सीताराम हि 2/21, पुरूपोषम पुत्र सीताराम हि 2/21, समस्त जाति ब्राह्मण, मंगली पत्नि लाला हि 1/3, जाति जाट, राजेन्द्र पुत्र सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, शान्ति पत्नी सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, शिवशंकर पुत्र सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, सुमित्रा पुत्री सीताराम हि 2/21, जाति ब्राह्मण, सा.देह खातेदार
	किता–3	1.2800		14.52	

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	41 मिन	0.4266	मंगली पत्नि लाला, जाति जाट, सा. देह खातेदार	बारानी ए
	किता–01	0.4266		
2	41 मिन 42 43	0.1834 0.0500 0.6200	किशोरी पुत्री सीताराम हि 1/7, देवीप्रकाश पुत्र सीताराम हि 1/7, पुरूपोषम पुत्र सीताराम हि 1/7, राजेन्द्र पुत्र सीताराम हि 1/7, शान्ति पत्नी सीताराम हि 1/7, शिवशंकर पुत्र सीताराम हि 1/7, सुमित्रा पुत्री सीताराम हि 1/7, समस्त जाति ब्राह्मण, सा.देह खातेदार	बारानी ए गै.मु.रास्ता बारानी ए
	किता–03	0.8534		

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दि[illegible] है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तक[illegible] किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

जयपुर (द्वितीय)

ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वहसबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	0
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		0
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिक		
हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested